



पीएम श्री केन्द्रीय विद्यालय रामगढ़ कैंट  
PM SHRI KENDRIYA VIDYALAYA RAMGARH CANTT  
पंजाब रेजिमेंटल सेंटर कैंप, रामगढ़ कैंट, झारखंड- 829131  
PRC Camp, Ramgarh Cantt., Jharkhand- 829131  
शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन स्वयत्त संस्थान  
An Autonomous Body under Ministry of Education, Govt. of India  
Ph: 06553-291051 (O), 06553-291050 (R)  
E-mail – kvramgarhcantt@gmail.com



CBSE Affiliation No.- 3400005 CBSE School No – 69507 KV Station Code - 1179 Website – <https://ramgarhcantt.kvs.ac.in>

पत्रांक सं.फा.40095/1179/2026/30

दिनांक :- 10.04.2026

### नीलामी सूचना

पी एम श्री केन्द्रीय विद्यालय, रामगढ़ कैंट. के फर्नीचर विभाग के गैर उपभोज्य की अनुपयोगी फर्नीचर का निपटान इस विद्यालय में दिनांक 22.04.2026 को दोपहर 02:00 बजे सार्वजनिक नीलामी के माध्यम से किया जाना है। सभी इच्छुक व्यक्तियों/पार्टियों को पी एम श्री केन्द्रीय विद्यालय, रामगढ़ कैंट. परिसर में बोली लगाने के लिए एकत्रित होने के लिए सूचित किया जाता है। क्षतिग्रस्त वस्तुओं की स्थिति का निरीक्षण प्रातः 09:00 बजे से प्रातः 11:00 बजे के बीच (किसी भी दिन विद्यालय के कार्य समय के दौरान) किया जा सकता है। इच्छुक और पात्र दल विद्यालय में नीलाम की जाने वाली वस्तुओं की संलग्न सूची के अनुसार अपना सीलबंद कोटेशन 20.04.2026 तक कूरियर / पंजीकृत डाक/ हाथोंहाथ भेज सकते हैं। ऐसे कोटेशन 22.04.2026 को दोपहर 2:00 बजे नीलामी समिति के सदस्यों द्वारा नीलामी प्रक्रिया में भाग लेने वाले सभी पक्षों के सामने खोले जाएंगे। प्रत्येक लेख के लिए न्यूनतम बोली राशि अधोहस्ताक्षरी द्वारा तय की जाएगी। फर्नीचर आइटम उच्चतम बोली लगाने वाले को "जैसा है और जहां भी है" के आधार पर सौंप दिया जाएगा। उच्चतम बोली लगाने वाले को बोली प्रक्रिया पूरी होने पर उसी दिन विद्यालय में पूरी राशि जमा करानी होगी।

क्रम सं.	फर्नीचर का नाम	कुल संख्या
01.	DUAL DESK OF SESAM WOOD	10
02.	ONE SEATER (SINGLE DESK)	90
03.	DUAL DESK OF SESAM WOOD (TWO SEATER)	80
04.	SINGLE DESK	32
05.	DUAL DESK OF SESAM WOOD (TWO SEATER)	25

### नियम एवं शर्तें

- बोलीदाताओं को नीलामी के समय घोषित किये जाने वाले नियमों का पालन करना होगा।
- रिपोर्टिंग समय दोपहर 01:30 बजे दिनांक 20.04.2026 होगा।
- नीलामी के समय ही आरक्षित मूल्य का खुलासा किया जाएगा।
- यदि सफल बोलीदाता बिक्री मूल्य का भुगतान करने में विफल रहता है, तो फर्नीचर सामग्री अगले उच्चतम बोली लगाने वाले को बेच दिया जाएगा।
- बोली लगाने वाले को झारखण्ड राज्य प्रदुषण नियंत्रण बोर्ड के तहत रिसाइक्लर (recycler) के रूप में पंजीकृत होना चाहिए।
- के.वि.एस कर्मचारियों और उनके रिश्तेदारों को नीलामी में भाग लेने की अनुमति नहीं है।
- प्राचार्य, पी एम श्री के.वि. रामगढ़ कैंट. के पास बिना कारण बताए किसी भी स्तर पर नीलामी रद्द करने का अधिकार सुरक्षित होगा।
- किसी भी विवाद की स्थिति में विद्यालय की नीलामी समिति का निर्णय अंतिम होगा।

### प्रति:

- अध्यक्ष, विद्यालय प्रबंधन समिति, के. वि., रामगढ़ कैंट.
- उपायुक्त, के.वि.एस रांची संभाग
- प्राचार्य, के. वि. एस रांची संभाग
- विद्यालय वेबसाइट
- गार्ड फ़ाइल

(अमर कुमार) 10.4.2026

प्राचार्य/Principal

पी एम श्री के. वि. रामगढ़ कैंट  
PM Shri K.V. Ramgarh Cantt.